राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली / 2020–21 / 71 / 481 दिनांक : 7/10/2020

–:: कार्यालय आदेश ::–

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक प.8(41)नविवि / 2019 दिनांक 30.09.2020 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम / द्वितीय / तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव– मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव / वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम / द्वितीय / तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त वृत्त .... राज. आवा. मं. ....
11. आवासीय अभियन्ता, खण्ड .... राज. आवा. मं. ....
12. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. लेखाधिकारी (वृत्त) .... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर [illegible] मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को [illegible]
15. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

भीम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.8(41)नविवि/2019 जयपुर, दिनांक: 30/09/2020

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.03.2020 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा 01.01.2001 के बाद आवंटित ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी/एम.आई.जी–ए के आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा एक मुश्त दिनांक 30.06.2020 तक जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 100 प्रतिशत छूट एवं एम.आई.जी–बी/एच.आई.जी के आवासों की बकाया किश्तें एक मुश्त दिनांक 30.06.2020 तक जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्तानुसार छूट दिनांक 01.01.2001 से पूर्व आवंटित आवासों पर भी दी जायेगी अर्थात् दिनांक 01.01.2001 से पूर्व एवं पश्चात आवंटित ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी/एम.आई.जी–ए के आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 100 प्रतिशत छूट एवं एम.आई.जी–बी/एच.आई.जी के आवासों की बकाया किश्तें एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

उक्त छूट का लाभ बकाया किश्तों की राशि एक मुश्त दिनांक 31.12.2020 तक जमा कराने पर ही देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(त्रिभुवनपति)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय ... की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. ... पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय